उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

म्यूटेशनु रिवीजन (Mutation Revision)वाद सं0 :–116/2022–23

तिलक प्रसाद वगै0
बनाम
सरकार

अपीलार्थी तिलक प्रसाद, धर्मदयाल प्रसाद दोनों के पिता– स्व हिरु राम ग्राम–तिर्रा थाना– पालकोट जिला– गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार बसिया के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–23/2021–22 दिनांक–26.10.2022 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर रिवीजन दायर किया गया है।

अपीलार्थी के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उनके पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि वादग्रस्त भूमि मौजा तिर्रा के खाता सं0–57 प्लॉट सं0–1148 रकबा 2.05 एकड़ और प्लॉट संख्या 1140 रकबा 1.64 एकड़ भूमि को अपीलार्थी दस्तावेज संख्या 52 दिनांक 08.01.1981 तथा दस्तावेज संख्या 1009 दिनांक 17.04.1982 द्वारा सावित्री देवी पति पारस नारायण पुरी ग्राम–कोटेंगसेरा जिला– गुमला से खरीदगी कर प्राप्त किया है। परन्तु बिक्रेता सावित्री देवी प्रश्नगत जमीन को निबंधित बिक्रय पत्र संख्या 108/77 से खतियानी रैयत मटन हजाम के पुत्र सुखनन्दन हजाम से क्रय किये थे। परन्तु सावित्री देवी उक्त खरीदगी के पश्चात् अपने नाम प्रश्नगत जमीन का नामान्तरण नहीं करायी थी तथा लम्बे अन्तराल के बाद क्रेता/अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन मूल न्यायालय में दाखिल किया गया। चूँकि बिक्रेता सावित्री देवी का नामान्तरण नहीं हुआ है। अतः मूल पंजी ii रैयत सुखनन्दन हजाम वगै0 के पंजी ii से घटाकर अपीलार्थी तिलक प्रसाद वगै0 के नाम प्रश्नगत जमीन का नामान्तरण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः रिवीजन वाद अस्वीकृत की जाती है।

आदेश की प्रति के निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

(ह0) 8/19.02.23
उपायुक्त,
गुमला

(ह0) 8/19.02.23
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2023.03.06 12:20:25 +05:30
Location: 192.168.5.117

Scanned with OKEN Scanner